नागरिक अधिकार–पत्र
पुलिस विभाग

प्रस्तावना

आम नागरिकों को पारदर्शी, संवेदनशील एवं उत्तदायी प्रशासनिक व्यवस्था सुलभ हो सके, इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन विषय पर नवम्बर, 1996 में मुख्य सचिवों एवं मई, 1997 में राज्य के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था। इन सम्मेलनों के निर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा नागरिक अधिकार–पत्र जारी किये जाने के लिए परिपत्र भेजा।

भारत सरकार के परिपत्र के सन्दर्भ में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने के लिए निर्देश प्रसारित किये।

इन निर्देशों की अनुपानला में राजस्थान पुलिस का पहला नागरिक अधिकार–पत्र तैयार कर इसमें पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली को संवेदनशील एंव परदर्शी बनाने तथा पुलिस कर्मचारियों की जवाबदेही निश्चित करने के लिए पुलिस विभाग के ध्यये, मूल्यों, प्राथमिकताओं, प्रतिबद्धताओं, कार्य पद्धति एवं नागरिकों से अपेक्षाओ को विभाग की कार्य पद्धति में समावेश किया गया है।

पुलिस विभाग का यह अभिनव प्रयास है । समय–समय पर राजस्थान पुलिस के नागरिक अधिकार–पत्र की गुणावगुणों के आधार पर समीक्षा कर इसमें आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा।

आशा है कि राजस्थान पुलिस का यह नागरिक अधिकार–पत्र पुलिस कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्तरदयित्वख संवेदनशीलता एंव जवाबदेही तथा नागरिको में पुलिस के प्रति विश्वास में वृद्धि करेगा।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान , जयपुरा

- **हमारा ध्येय**
  - अपराध पर नियंत्रण
  - कानून एवं व्यवस्था का संधारण
  - सामाजिक सौहार्द एवं शान्ति

- **हमारे मूल्य**
  - सेवार्थ कटिबद्धता
  - ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा
  - निष्पक्षता एवं पारदर्शिता
  - संवेदनशीलता एवं अद्व्यवहार
  - अनुशासनबद्ध व अन्योन्याश्रित कार्य संस्कृति

- **हमारी प्राथमिकताऐं**
  - आम नागरिक के प्रति जवाबदेही
  - कानूनों का निष्पक्ष क्रियान्वयन व अनुपालना
  - समाज के कमजोर वर्गैं, महिलाओं व बालक–बालिकाओं को विशेष संरक्षण
  - जन साधारण के साथ मैत्रीपूर्ण पारस्परिक सहयोग
  - कानून के अन्तर्गत संस्थाओ के प्रधिकारों की सुरक्षा
  - कानून के माध्यम से समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करना
  - जाति एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करना
  - शान्ति एवं सुरक्षा का विश्वसनीयता वातावरण बनाना
  - संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के उपयोग हेतु भय मुक्त वातावरण स्थापित करना
  - मानव अधिकारों की रक्षा करना

- **हमारी कार्य पद्धति**
  - संविधान में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नागरिकों के कानूनी अधिकारों का सम्मान करना एंव जन सहयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन करना व राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को कानूनों का पालन करते हुए बनाये रखना, ताकि समाज में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में स्थापित हो सके।

- **हमारी प्रतिबद्धताऐं**
  - जन सेवा
  - संवेदनशीलता एंव जवाबदेही
  - समयबद्धता अर्थात त्वरित गति से अपरोधों का अनुसंधान कर सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा अभाव अभियोगों का शीघ्र निस्तारण करना
  - जनता को यह आभास दिलाना कि पुलिस विभाग संविधान और कानून के प्रति ही उत्तरदायी है
  - आम जनता को अपराधी तन्त्र एवं आपराधिक प्रवृतियों से सचेत करना
  - दलित एवं शोषित वर्ग तथा महिलाओं को उत्पीडन करने सम्बन्धी कानूनों के महत्व को जन सम्पर्क के माध्यम से जनता को अवगत कराना

- अपराध के कारणों व परिस्थितियों का विश्लेषण कर जन सहयोग के माध्यम से उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करना
- पुलिस कर्मियों द्वारा अनुशासन, निष्ठा तथा ईमानदारी से आचरण करना।

- हमारी नागरिकों से अपेक्षाऐं
  - असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही में पुलिस का सकारात्मक सहयोग।
  - कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग
  - आसूचना का आदान–प्रदान
  - कानून एवं नियमों का स्वैच्छिक पालन
  - कानून एवं संविधान में आस्था

- अपराध पंजीकद्ध कराने सम्बन्धी नागरिकों के अधिकार
  - प्रत्येक नागरिक का यह अधिकारी है कि उसके साथ संज्ञेश्य अपराध घटित होने पर वह सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।
  - रिपोर्ट कर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क दिया जाना आवश्यक है।
  - मुस्तगी (रिपोर्ट कर्ता) अभियोग की अनुसंधान सम्बन्धि प्रगति सम्बन्धित थाना एवं क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से मालूम कर सकता है।

- शिकायतों की सूचना एवं निवारण सम्बन्धि अधिकार
  - प्रत्येक नागरिक उनके स्वयं के साथ या अन्य किसी नागरिक के साथ घटित होने वाली अपराधिक घटना की सूचना, अपराधियों एवं अपराधिक गतिविधियों की सूचना एवं पुलिस विभाग की अनियमितताओं की सूचनाएं सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक, रेंज उप महानिरीक्षक पुलिस एवं महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को निःसंकोच होकर किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। आवश्यकता होने पर प्राप्त सूचना को गोपनीय रखकर भी तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के अधिकार
  - संज्ञेय अभियोगों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की गिरफ्तारी सम्बन्धि सूचना उनके परिवारजन को दिया जाना आवश्यक है।
  - पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को 24 घण्टों के भीतर सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- सडक एंव यातायात नियमों के पालन सम्बन्धि नागरिकों के अधिकार
  - नागरिकों एवं सडक उपयोक्ताओं की यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाना यातायात पुलिस का कार्य है।
  - सार्वजनिक सडकों पर उचित यातायात प्रबन्ध करना, चिन्हित जगहों पर वाहनों की पार्किंग कराना एवं सडक नियमों का पालन कराना यातायात पुलिस का कार्य है।
  - प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि सार्वजनिक सडकों का उपयोग करते समय कोई भी कठिनाई आने पर यातायात या सिविल पुलिस से आवश्यक सहायता एंव मार्गदर्शन प्राप्त करें।

- **महिलाओं के अधिकार**
  - महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीडन सम्बन्धि कोई भी रिपोर्ट थाने में प्राप्त होने पर उसका तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है।
  - महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहां तक संभव हो, पुलिस अधिकारियों को उनके घर जाकर पूछताछ करना आवश्यक है। यदि विशेष परिस्थितियों में किसी महिला अपराधी को थाने पर पूछताछ हेतु बुलाया जाता है तो पूछताछ के दौरान सम्बन्धित महिला के परिवारजन को उसके साथ रखा जाना चाहिए
  - किसी महिला अपराधी के विरूद्ध अनुसंधान से अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि किसी महिला के दौरान उसके किसी परिवार जन को थाने पर मौजूद रखा जाना चाहिए।

- **बालकों के अधिकार**
  - गिरफ्तार बच्चों के प्रति पुलिस सामाजिक जांचकर्ता की भूमिका अपनाकर एंव उनके प्रति सृजनात्मक व्यवहार कर उन्हें सुधारनें में महत्वपूर्ण येागदान कर सकती है।
  - बाल न्याय कानून, 1986 के अन्तर्गत किसी बाल अपराधी को गिरफ्तार करने या उसे पुलिस देखरेख में लेने के लिए विशेष प्रावधान किये हुए हैं जिनकी पालना करना पुलिस का दायित्व है।
  - बच्चों को हवालात में व्यस्कों से अलग रखा जाना चाहिए। उन्हें यातना नहीं दी जानी चाहिए और उनके साथ क्रूरतापूर्वक एवं अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
  - बच्चों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना तथा उनमें सम्मान एवं योग्यता का भाव पैदा करना पुलिस का महत्वपूर्ण दायित्व है।

- **नागरिकों के पुलिस को सूचना एवं सहयोग देने सम्बन्धि कर्तव्य**
  - प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह किसी अपराध, सामाजिक शान्ति, साम्प्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को देवें।
  - सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाने एवं पुलिस को सूचना देने का नागरिकों का दायित्व है। ऐसी सूचना एवं सहयोग देने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने एवं न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  - राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक सम्पत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एंव सम्मान करना प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है।
  - अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य है, उनके सम्बन्ध में सही गवाही देना उनका कर्तव्य है।